www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 08.01.2017

घूसखोरी के मामले में तत्कालीन एस.एस.ई., रेलवे को सात वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, देहरादून ने तत्कालीन एस.एस.ई., रेलवे, काशीपुर श्री रामवीर सिंह सोलंकी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दोषी ठहराया एवं उन्हें 40,000 रू. के जुर्माने सहित 07 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई ने एस.एस.ई., रेलवे, काशीपुर श्री रामवीर सिंह के विरूद्ध शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता का अन्तिम बिल बनाने के लिए 10,000 रू. घूस की माँग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को दिनांक 10.01.2016 को घूस स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। जॉंच के पश्चात, दिनांक 29.02.2016 को आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत आरोप पत्र दायर किया। उक्त धाराओं के तहत आरोपी के विरूद्ध आरोप तय हुए।

विचारण अदालत ने आरोपी व्यक्ति को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****